



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012-श्रावण 26, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप नाम परिवर्तन

मैं, बेतालसिंह गोरख पुत्र स्व. श्री दीनाराम गोरख, कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, भोपाल में शीघ्रलेखक ग्रेड-2 (पी.ए.) के पद पर सेवारत हूँ. त्रुटिवश अंकित गोरख सरनेम मुझे व मेरे परिवार को सौभ्य नहीं लगता. अब मैं अपने नाम के साथ गोरख सरनेम के स्थान पर गौरव (बेतालसिंह गौरव) प्रयोग करूंगा. अतः सेवा अभिलेख सहित समस्त शासकीय, अशासकीय पत्र व्यवहारों में मुझे बेतालसिंह गौरव के नाम से ही सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :

(बेतालसिंह गोरख)

(BETAL SINGH GORAKH)

(107-B.)

नया नाम :

(बेतालसिंह गौरव)

(BETAL SINGH GAURAV)

M. P. State S. C. Commission,

M. P. Nagar, Bhopal.

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की सत्तावनवीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार दिनांक 7 सितम्बर, 2012 को सायंकाल 4.00 बजे मुम्बई-आगरा मार्ग, वित्त भवन, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा—

- 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
- वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार.
- अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 18 अगस्त, 2012 से 7 सितम्बर, 2012 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट :—

- (क) सत्तावनवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 1 सितम्बर, 2012 तक पहुंच जाना चाहिए.
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 29 अगस्त, 2012 तक पहुंच जाना चाहिए.
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

03 अगस्त, 2012

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार

“वित्त भवन”

मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर 452001.

(106-बी.)

Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the corporation “Finance House”, Mumbai-Agra Road, Indore on Friday 7th September, 2012 at 4.00 PM to transact the following business—

1. To Read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2012 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2012-13.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman,

The Share Register of the Corporation will remain closed from 18th August to 7th September, 2012 (both days inclusive).

Notes—

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 57th Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days *i. e.* 1st September, 2012.
- (b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i. e.* 29th August, 2012.
- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By order of the Board of Directors,

03 August, 2012

“Finance House”
Mumbai-Agra Road,
INDORE-452001.

Sanjay Dubey,
Managing Director.

(106-A-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“अखिल भारतीय श्री भगवान जैन दिवाकर अहिंसा सेवा संघ, चेरीटेबल ट्रस्ट, इन्दौर (मध्यप्रदेश)” प्रधान कार्यालय 501, प्रिंसेस एम्पायर, रेसकोर्स रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री रतनलाल पिता माधौलाल लसोड़, निवासी—सी-31, वीर दुर्गादास नगर, मु. पो. पाली (मारवाड़) राजस्थान एवं अन्य न्यासियों द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“अखिल भारतीय श्री भगवान जैन दिवाकर अहिंसा सेवा संघ, चेरीटेबल ट्रस्ट, इन्दौर (मध्यप्रदेश)”
पता :	501, प्रिंसेस एम्पायर, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र)

आज दिनांक 6 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

वंदना पराशर,
रजिस्ट्रार.

(356)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/280.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, खाड़ी चनुपुरा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./812 दिनांक 27 सितम्बर, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. डी. अग्रवाल, C. I. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देवदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, खाड़ी चनुपुरा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./812, दिनांक 27 सितम्बर, 1982 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/281.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, खूटमा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./927, दिनांक 19 फरवरी, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. डी. अग्रवाल, C. I. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, खूटमा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./927, दिनांक 19 फरवरी, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-A)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/282.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, अड़वाड़, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1006, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, अड़वाड़, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1006, दिनांक 31 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-B)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/283.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, पानड़ी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./852, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, पानड़ी, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./852, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-C)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/284.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, ननावद, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./666, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, ननावद, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./666, दिनांक 20 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-D)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/285.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, आसीदा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./748, दिनांक 24 मार्च, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, आसीदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./748, दिनांक 24 मार्च, 1988 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-E)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/286.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, प्रेमसर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./665, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, प्रेमसर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./665, दिनांक 20 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-F)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/287.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, गसवानी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./951, दिनांक 29 अगस्त, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, गसवानी, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./951, दिनांक 29 अगस्त, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-G)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/288.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, गढ़ी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./868, दिनांक 09 मार्च, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, गढ़ी, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./868, दिनांक 09 मार्च, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-H)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/289.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, धोबिनी, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./876, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, धोबिनी, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./876, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-I)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/290.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, इकलौद, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./863, दिनांक 17 मार्च, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, इकलौद, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./863, दिनांक 17 मार्च, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-J)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/291.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, सहसराम, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./872, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, सहसराम, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./872, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-K)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/292.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, दौर्द, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./950, दिनांक 29 अगस्त, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, दौर्द, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./950, दिनांक 29 अगस्त, 1991 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-L)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/293.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तिलहन उत्पादक सह. संस्था, टर्काला, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./862, दिनांक 12 दिसम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. संस्था, टर्काला, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./862, दिनांक 12 दिसम्बर, 1985 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-M)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/294.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के तेल उत्पादक सह. संस्था, विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./42, दिनांक 11 अप्रैल, 1962 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था तेल उत्पादक सह. संस्था, विजयपुर, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./42, दिनांक 11 अप्रैल, 1962 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(354-N)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/295.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के गुड़ खांडसारी सहकारी संस्था, सहसरा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./89, दिनांक 29 नवम्बर, 1970 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था गुड़ खांडसांरी सहकारी संस्था, सहसराम, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./89, दिनांक 29 नवम्बर, 1970 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(354-O)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/296.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के प्राथ. उपभोक्ता भंडार, विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1087, दिनांक 03 सितम्बर, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था प्राथ. उपभोक्ता भंडार, विजयपुर, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1087, दिनांक 03 सितम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(354-P)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/297.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के खनिज उत्पादक सहकारी संस्था, उपचा, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./974, दिनांक 30 जनवरी, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था खनिज उत्पादक सहकारी संस्था, उपचा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./974, दिनांक 30 जनवरी, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूं, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(354-Q)

श्योपुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/298.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 के बुनकर सहकारी संस्था, सुनवाई, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./486, दिनांक 15 सितम्बर, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. सगर, S. A. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला श्योपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था बुनकर सहकारी संस्था, सुनवाई, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./486, दिनांक 15 सितम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

आज दिनांक 21 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. के. वर्मा,
सहायक पंजीयक.

(354-R)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011

क्र./उपसि./परि./11/1382.— निषादराज मछुआ सहकारी समिति मर्या., अरी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./625, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री बी. पी. सहारे को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए निषादराज मछुआ सहकारी समिति मर्या., अरी, पंजीयन क्रमांक 760 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355)

सिवनी, दिनांक 18 जनवरी, 2012

क्र./उपसि./परि./12/79.— तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हथनापुर को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./635, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हथनापुर, पंजीयन क्रमांक 595 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 18 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-A)

सिवनी, दिनांक 18 जनवरी, 2012

क्र./उपसि./परि./12/80.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुसेरा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./637, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुसेरा, पंजीयन क्रमांक 601 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 18 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-B)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/314.—रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खुशीपार को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./645, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री आर. पी. मेहरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खुशीपार, पंजीयन क्रमांक 799 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-C)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/315.—राजीव गांधी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., कवलारी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./644, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री आर. पी. मेहरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961)

की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., केवलारी, पंजीयन क्रमांक 733 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-D)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/316.—इंदिरा गांधी चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया नाई को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./616, दिनांक 22 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री आर. पी. मेहरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया नाई, पंजीयन क्रमांक 699 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-E)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/317.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलेमा को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./615, दिनांक 22 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री आर. पी. मेहरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलेमा, पंजीयन क्रमांक 566 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-F)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/318.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी का इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./614, दिनांक 22 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री आर. पी. मेहरा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी, पंजीयन क्रमांक 498 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-G)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/319.—अल्प संख्यक कृषक सहकारी समिति मर्या., कटिया को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./285, दिनांक 23 नवम्बर, 2000 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए अल्प संख्यक कृषक सहकारी समिति मर्या., कटिया, पंजीयन क्रमांक 693 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-H)

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/320.—प्रकोष्ठ एवं घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./568, दिनांक 04 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए प्रकोष्ठ एवं घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 386 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-I)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/384.—शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./494, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 294 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-J)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/385.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डूंडा सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1842, दिनांक 31 जुलाई, 2001 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डूंडा सिवनी, पंजीयन क्रमांक 457 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-K)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/386.—वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., गंगपुर को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./303, दिनांक 01 फरवरी, 1993 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री वाणी विलास शर्मा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., गंगपुर, पंजीयन क्रमांक 120 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-L)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/387.—आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बड़गांव को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./128, दिनांक 16 जनवरी, 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री वाणी विलास शर्मा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बड़गांव, पंजीयन क्रमांक 118 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-M)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/388.—आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अंडिया को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./3085, दिनांक 17 जून, 1974 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री वाणी विलास शर्मा को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अंडिया, पंजीयन क्रमांक 146 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-N)

सिवनी, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./उपसि./परि./12/401.—वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., जामुनपानी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि./परि./1640, दिनांक 30 अगस्त, 1989 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्री एन. एस. धुर्वे को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, 1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/1/99/पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., जामुनपानी, पंजीयन क्रमांक 143 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(355-O)

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012-श्रावण 26, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 2 मई, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, राजगढ़ जिले को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), राजगढ़ (राजगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला सिंगरौली, धार व प. निमाड़, बड़वानी, बुरहानपुर तथा बैतूल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला अनूपपुर, सीधी, नीमच व डिण्डोरी में फसल गेहूँ व पन्ना में मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर तथा मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, झाबुआ, रायसेन, भोपाल तथा छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 2 मई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, सोयाबीन, गेहूँ, राई-सरसों समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह
2. पोरसा
3. मुरैना
4. जौरा
5. सबलगाढ़
6. कैलारस
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर
2. कराहल
3. विजयपुर
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर
2. भिण्ड
3. गोहद
4. मेहगांव
5. लहार
6. मिहोना
7. रौन
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 0.4	0.4
2. डबरा 3.0	3.0
3. भितरवार 2.9	2.9
4. घाटीगांव 2.3	2.3
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा
2. दतिया
3. भाण्डेर
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी
2. पिछोर
3. खनियाधाना
4. नरवर
5. करैरा
6. कोलारस
7. पोहरी
8. बदरवास

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. सारंगपुर	..				
7. पलेरा	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. ओरछा	..				
10. लिधौरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई- सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू प्याज सुधरी हुई.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. त्यौंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	..				
5. मनगवां	..				
6. हनुमना	..				
7. हजूर	..				
8. गुढ़	..				
9. रायपुरकचुलियान	..				
10. जबा	..				
11. नईगढ़ी	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) अम्बाड़ी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक, चना, जौ, अलसी, मसूर, मटर, सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दासौर : 1. सुबासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दासौर 6. सीतामऊ 7. धुन्धका 8. शामगढ़ 9. संजीत	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों अधिक. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
*जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ौदिया 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर 5. बड़ौद 6. शाजापुर 7. शुजालपुर 8. कालापीपल 9. गुलाना	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर, आलू समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, प्याज अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गर्मी की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	3.2				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
7. पचोर	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक. गन्ना कम: (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावर	..				
5. इच्छावर	..				
6. नय्यरुल्लागंज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) . .		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. भैसदेही	..		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) . .		
3. शाहपुर	..				
4. चिचौली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, मसूर, मटर सुधरी हुई.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. मोहखेड़ा 11. हरई				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा, मसूर, राई-सरसों कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर 7. धनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला गुना, सतना, रीवा, शहडोल, रतलाम से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(353)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वाल्थर द्वारा मुद्रित-2012.